उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण अनुभाग-1
संख्या-41/2024/818385/2024/60-1099/288/2024
लखनऊ::दिनांक: 17 दिसम्बर, 2024

कार्यालय आदेश

श्रीमती ईरा आर्या, जिला प्रोबेशन अधिकारी, कन्नौज को दिनांक 15.10.2024 से 120 दिवस का बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत शासन के आदेश संख्या-36/2024/762914/2024/60-1099/288/2024, दिनांक 07.10.2024 को निरस्त करते हुए श्रीमती ईरा आर्या, जिला प्रोबेशन अधिकारी, कन्नौज को वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-2-2017/दस-2008-216/79, दिनांक 08.12.2008 में दिये गये प्राविधानानुसार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 के भाग-2 से 4 के सहायक नियम-153 (1) के अन्तर्गत दिनांक-20.10.2024 से 120 दिवस का बाल्य देखभाल अवकाश एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या-41/2024/818385(1)/2024/60-1099/288/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. जिलाधिकारी, कन्नौज ।
3. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. जिला परिवीक्षा अधिकारी, कन्नौज।
6. श्रीमती श्रीमती ईरा आर्या, जिला प्रोबेशन अधिकारी, कन्नौजद्वारा निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

(सत्य प्रकाश)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।